अखबार वो जो दिखाता है सच

हिन्दी दैनिक

तेजयुग न्यूज़

स्थापना दिवस 2024

www.tejyug.com

• वर्ष/year : 01 • अंक/issu : 83 • पृष्ठ/page 12 • मूल्य/rate : 3 ₹

● शनिवार, 23 मार्च, 2024
• Saterday, 23 March, 2024

हापुड़ से प्रकाशित/ Published From Hapur

UPHIN/2023/51292

लोकसभा चुनावः मंत्री प्रभार वाले क्षेत्रों से चलाएंगे विभाग

- मुख्यमंत्री ने कहा चुनाव में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी
- प्रदेश के चुनाव प्रभारी डा. सहस्त्रबुद्धे ने ली कोर कमेटी की बैठक

तेजयुग न्यूज

जयपुर(का.स.)। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के मंत्री अपने प्रभार वाले क्षेत्रों से विभाग चलाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें चुनाव में किसी प्रकार की कौताही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे फाइलें फील्ड में ही मंगवा लें। यही निर्देश विधायकों को भी दिए गए हैं।

इससे पहले लोकसभा चुनावों के लिए नियुक्त किए गए प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे शुक्रवार सुबह जयपुर पहुंचे। सरदार पटेल मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक ली जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। कोर कमेटी के बाद बीजेपी पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा- मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ प्रभार वाले लोकसभा क्षेत्र में भी रहे। फील्ड में ही फाइलें मंगवा लें। चुनाव के काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा- मैं भी तीन दिन लगातार लोकसभा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आया हूं। बैठक के बाद प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा- राजस्थान में बहुत ही सकारात्मक और उत्साह का माहौल है। राजस्थान की शेष 10 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि आने वाले दो दिनों में सभी सीटों पर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो जानी चाहिए।

लोकसभा प्रभारियों के साथ भी बैठक-इसके साथ ही लोकसभा चुनावों को लेकर बनाई गई चुनाव प्रबंधन कमेटी, लोकसभा प्रभारियों के साथ भी डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे चर्चा की। इस दौरान चुनाव सह प्रभारी विजया रहाटकर और प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे।

यूपी मदरसा बोर्ड कानून असंवैधानिकः हाईकोर्ट

धार्मिक शिक्षा को कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के खिलाफ माना

तेजयुग न्यूज

लखनऊ(एजेंसी)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसके साथ ही यूपी सरकार को एक स्कीम बनाने को कहा है, ताकि मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके।

शुक्रवार को अंशुमान सिंह राठौड़ की याचिका पर जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। 10 सितंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक मदरसों का सर्वे कराया था। इस टाइम लिमिट को बाद में 30 नवंबर तक बढ़ाया गया। इस सर्वे में प्रदेश में करीब 8441 मदरसे ऐसे मिले थे, जिनकी मान्यता नहीं थी। सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 550, बस्ती में 350 और मुजफ्फरनगर में 240 मदरसे बिना मान्यता मिले थे। राजधानी लखनऊ में 100 मदरसों की मान्यता नहीं थी। इसके अलावा, प्रयागराज-मऊ में 90, आजमगढ़ में 132 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले थे। सरकार के मुताबिक, प्रदेश में फिलहाल 15 हजार 613 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अक्टूबर 2023 में यूपी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है।

शराब नीति केस: सीएम केजरीवाल 28 तक रिमांड पर

ईडी ने कोर्ट में कहा- लेन-देन का पता लगाना है

तेजयुग न्यूज

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक (6 दिन) की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले 3 घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था।केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई दोपहर 2.15 बजे शुरू होकर शाम 5.15 बजे तक चली।

ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। साथ ही सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया। साथ ही दावा किया कि इस केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए। कई सारे फोन तोड़े गए हैं। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। दो बार कैश ट्रांसफर किया गया। पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के पास सब कुछ है, तो गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी 80% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया।

उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वे उनसे कभी मिले भी थे। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने तो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता ने दलीलें रखीं। इस बीच विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया था। उनकी रात ईडी की लॉकअप में कटी। इससे पहले केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच के सामने कुछ ही देर बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस लेने की गुजारिश की। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा- ट्रायल कोर्ट में रिमांड की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ टकरा रही है इसलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। ट्रायल कोर्ट में हम पहले रिमांड प्रोसीडिंग पर लड़ेंगे और फिर एक और याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट आएंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के ढ्ढञ्जह्र में प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी सीएम केजरीवाल के घर उनके परिवार से मिलने जा सकते हैं।

दिल्ली शराब कांड में नया खुलासा

नईदिल्लीः दिल्ली शराब कांड के सरकारी गवाह की कंपनी ने भाजपा को चुनावी बॉन्ड के जरिए दिए 34 करोड़ दिये हैं। अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी सरथ रेड्डी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पांच दिन बाद, कंपनी ने भाजपा को 5 करोड़ रुपये के चुनावी बांड दान किए। यह खुलासा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा गुरुवार को भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को यूनिक बॉन्ड नंबर डेटा सौंपने के बाद सामने आया है। इस बारे में पहले ही चर्चा हुई थी कि शराब नीति के मामले में जांच एजेंसियों के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो जनता को भरोसेमंद लगे।

मिली जानकारी के मुताबिक 10 नवंबर 2022 को ईडी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड्डी को गिरफ्तार किया था। पांच दिन बाद, 15 नवंबर को, अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपये के चुनावी बांड दान किए। अब सामने आए नए आंकड़ों से यह पुष्टि हो गई है कि यह 5 करोड़ रुपए भाजपा को गए थे। संयोग से, यह खुलासा उसी दिन हुआ है जब ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है।

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक की लोगों की निजी जानकारी

मोदी के प्रचार को चुनाव आयोग ने रोका

तेजयुग न्यूज

नईदिल्लीः भारत के चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को प्रधान मंत्री के फीडबैक मांगने वाले पत्र के साथ अपने व्हाट्सएप अभियान को रोकने का आदेश दिया है। अभियान को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करार देते हुए, भारत के चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई और संदेश नहीं भेजे जाएं।

भारत का चुनाव आयोग देश भर में दर्ज आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर प्रतिक्रिया दे रहा था, जिसमें चंडीगढ़ में दायर एक शिकायत भी शामिल है। सी-विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त होने के बाद, चंडीगढ़ के अधिकारियों ने आचार संहिता उल्लंघन को भारत के चुनाव आयोग को भेजा, जहां एक मतदाता ने राजनीतिक अभियान के लिए सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। भारत के चुनाव आयोग से पूछताछ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी ने बताया है कि व्हाट्सएप संदेश चुनाव की घोषणा से पहले 15 मार्च को भेजे गए थे।

मंत्रालय ने बताया कि व्हाट्सएप के सिस्टम आर्किटेक्चर और नेटवर्क सीमाओं के कारण कई लोगों को बाद में यह प्राप्त हुआ होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने अभियान रोकने का आदेश देते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट अपने कार्यालय के साथ साझा करने का आदेश दिया। मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में, चुनाव आयोग के वरिष्ठ प्रधान सचिव, नरेंद्र एन. बुटोलिया ने आदेश दिया। इसमें लिखा गया है कि, आयोग को विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं कि नागरिकों के फोन पर अभी भी ऐसे संदेश भेजे जा रहे हैं। चूंकि आदर्श आचार संहिता अब लागू है, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि एमसीसी अवधि के दौरान 'व्हाट्सएप संदेशों' की आगे कोई डिलीवरी न हो। इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट तुरंत भेजी जा सकती है।

हालांकि भारत के चुनाव आयोग ने इस अभ्यास को रोक दिया, लेकिन यह मंत्रालय द्वारा मतदाताओं की गोपनीयता के उल्लंघन के बारे में पूछताछ करने से आगे नहीं बढ़ा। यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्रालय द्वारा दुनिया भर में विभिन्न लोगों को संदेश किस आधार पर भेजे गए थे। विदेशी नागरिकों को भेजे जा रहे संदेशों ने भारत में गोपनीयता के उल्लंघन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत का चुनाव आयोग वास्तव में चुनावों में व्यक्तिगत डेटा की भूमिका के मुद्दे पर काम नहीं कर रहा है।

बैंक खाता जब्ती के खिलाफ लगायी थी गुहार

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिका आज खारिज कर दी। जस्टिस यशवंत वर्मा और पुरुषइंद्र कुमार कौरव की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, हम रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं। इसके विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। उच्च न्यायालय ने लगातार तीन वर्षोंः 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ राजनीतिक दल द्वारा दायर याचिका पर 20 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पार्टी ने पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही का विरोध करते हुए दावा किया है कि उन्हें सीमा के कारण रोक दिया गया है। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि कर पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही सीमा से बाधित है और आईटी विभाग अधिकतम छह मूल्यांकन वर्षों तक जा सकता है। हालांकि, आईटी विभाग ने दावा किया कि किसी भी वैधानिक का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है कर प्राधिकरण द्वारा प्रावधान और बरामद सामग्री के अनुसार, पार्टी द्वारा बच गई आय 520 करोड़ रुपये से अधिक है। हाल ही में, उच्च न्यायालय ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

वर्ष 2050 तक वरिष्ठ नागरिकों की भीड़ हो जाएगी

भारत में फिर से नीचे जा रहा है जन्मदर

तेजयुग न्यूज

नईदिल्लीः वर्ष 2050 तक, पांच में से एक भारतीय वरिष्ठ नागरिक होगा जबकि उनकी देखभाल करने के लिए कम युवा लोग होंगे। इस पूवार्नुमानित परिदृश्य को लांसेट अध्ययन द्वारा उजागर किया गया है, जो कहता है कि भारत की कुल प्रजनन दर प्रति महिला पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या - अपरिवर्तनीय रूप से 1.29 तक गिर रही है, जो 2.1 की प्रतिस्थापन दर से बहुत कम है।

इसका मतलब है तेजी से घटती कामकाजी उम्र वाली आबादी। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी (जीबीडी)-2021 के शोध अनुमान के अनुसार, दुनिया भर में भी, पिछले 70 वर्षों में टीएफआर आधे से अधिक हो गया है - 1950 में प्रत्येक महिला के लिए लगभग पांच बच्चों से लेकर 2.2 बच्चे तक। भारत में, टीएफआर 1950 में 6.18 था जो 1980 में घटकर 4.60 हो गया और 2021 में और भी कम होकर 1.91 हो गया। चीन पहले से ही बढ़ती आबादी के जनसांख्यिकीय नुकसान से जूझ रहा है। भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये दोनों राष्ट्र मिलकर विश्व की एक तिहाई से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इनक्लूसिव पॉलिसी की प्रमुख और गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में अकादमिक मामलों की डीन प्रोफेसर अंजलि राडकर का कहना है कि यह परिदृश्य अपेक्षित था।

आजादी के बाद जनसंख्या पर रोक लगाने की जरूरत महसूस हुई। इसलिए परिवार कल्याण कार्यक्रम, जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी नकद हस्तांतरण प्रलोभन शामिल थे, का उद्देश्य लोगों को दो से अधिक बच्चे न पैदा करने के लिए राजी करना था। उस समय के दौरान, भारतीय आबादी की मानसिकता को बदलने के लिए सिस्टम को बहुत प्रयास की आवश्यकता थी। धीरे-धीरे वह व्यवहार परिवर्तन दिखने लगा। शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट आई (विभिन्न मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों और सफल टीकाकरण के कारण) जिसका अर्थ है कि बच्चे के जीवित रहने की गारंटी थी। छोटे परिवार आदर्श बन गए।

लोको पायलट की सतर्कता से 89 शेरों की बची जान

भावनगरः पश्चिम रेलवे में गुजरात के भावनगर रेलवे मंडल के लोको पायलटों की सतर्कता से 89 शेरों (सिंहों) की जान बचायी गयी। मंडल रेल प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि लोको पायलटों द्वारा सावधानी रखने की वजह से पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में 29 शेर, 2022-23 में 27 शेर तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33 शेरों को रेलवे की चपेट में आने से बचाया गया। वन विभाग और रेलवे प्रसाशन द्वारा मिलकर रेलवे ट्रैक के पास सिहों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मंडल ने शेरों को ट्रेन की चपेट में आने से बचाने के लिये विभिन्न उपाय किये गये हैं। मंडल ने लोको पायलटों को गति नियंत्रण के लिये सख्त निर्देश दिये हैं।

मेरा पुरस्कार सभी भारतीयों को समर्पितः मोदी

पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार

तेजयुग न्यूज

थिम्पूः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, 'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो' प्राप्त किया, वह यह सम्मान पाने वाले सरकार के पहले विदेशी प्रमुख हैं। प्रधान मंत्री मोदी को यह पुरस्कार भारत-भूटान संबंधों के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और भूटानी राष्ट्र और लोगों के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया है।

इसके तुरंत बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, भूटान द्वारा 'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो' पुरस्कार से सम्मानित होने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करता हूं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्ल्यालपो से सम्मानित किया। इश सम्मान की घोषणा 17 दिसंबर, 2021 को 114वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान भूटान के राजा द्वारा की गई थी। शुक्रवार को, प्रधान मंत्री मोदी ने अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान इसे प्राप्त किया, प्रधान मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से यह उनकी तीसरी यात्रा है। 2014 में।

2021 में भारतीय दूतावास के एक बयान में, जब घोषणा की गई थी, कहा गया था, रैंकिंग और स्थापित प्राथमिकता के अनुसार, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो को जीवन भर की उपलब्धि के लिए सजावट के रूप में स्थापित किया गया था और यह भूटान में सम्मान प्रणाली का शिखर है। सभी आदेशों, अलंकरणों और पदकों को प्राथमिकता देते हुए। 2020 में, पीएम मोदी को अमेरिकी सशस्त्र बलों का लीजन ऑफ मेरिट बाय द यूएस गवर्नमेंट पुरस्कार मिला और 2019 में, रूस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से सम्मानित किया।

इससे पहले दिन में, हिमालयी राष्ट्र में पहुंचने के कुछ घंटों बाद, पीएम मोदी ने कहा कि वह अपने खूबसूरत देश में यादगार स्वागत के लिए भूटानी लोगों के आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत-भूटान दोस्ती नई ऊंचाइयों को छूती रहेगी। पीएम मोदी की यात्रा देश की 'पड़ोसी पहले' नीति के हिस्से के रूप में भूटान के साथ भारत के अद्वितीय और स्थायी संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास करती है।